

**मांग संख्या 05**  
**मुख्य शीर्ष 2056**

**मद क्रमांक 1 से 3**

प्रदेश के 07 उप जेलों, डोंगरगढ़, गरियाबंद, कटघोरा, सूरजपुर, नारायणपुर, सुकमा एवं कबीरधाम में पूर्णकालीन चिकित्सा अधिकारी के पदों के निर्माण पर ₹ 10.29 लाख का व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	पदनाम	वेतन बैंड	ग्रेड पे	पद संख्या
1	चिकित्सा अधिकारी	15600-39100	5400	07
<b>योग</b>				<b>07</b>

जांजगीर-चांपा जिले के सक्ती में उप जेल स्थापित करने तथा उप जेल कबीरधाम को जिला जेल में उन्नयन किये जाने हेतु ₹ 31.54 लाख कुल ₹ 41.83 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 41,83,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4 से 7**

प्रदेश की 05 केन्द्रीय जेलों (रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अम्बिकापुर एवं दुर्ग) के सुदृढीकरण हेतु कार्यालय व्यय के अन्तर्गत, फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण, लेखन सामग्री, अन्य आकस्मिक व्यय-सूचना प्रौद्योगिकी मद में ₹ 148.10 लाख का व्यय संभावित है। प्रदेश की 12 जेलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम की स्थापित करने हेतु ₹ 82.80 लाख का व्यय संभावित है। प्रदेश की 07 जेलों हेतु सी.सी.टी.वी. क्रय के लिये ₹ 42.00 लाख तथा प्रदेश की 10 जेलों में स्थापित सी.सी.टी.वी. के अपग्रेड करने के लिये ₹ 45.98 लाख का व्यय संभावित है।

केन्द्रीय जेल जगदलपुर, अम्बिकापुर एवं बिलासपुर में ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस मशीन 03 नग हेतु अनुमानित लागत ₹ 36.00 लाख तथा केन्द्रीय जेल रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अम्बिकापुर एवं दुर्ग में पावरलूम की स्थापना हेतु ₹ 10.88 लाख का व्यय संभावित है।

प्रदेश की 08 केन्द्रीय जेलों में सेलफोन जैमर मशीन के एन्यूअल मेंटेनेंस कान्ट्रैट हेतु ₹ 101.00 लाख का व्यय अनुमानित है। व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8 से 9**

केन्द्रीय तथा जिला जेलों को राशन व्यय हेतु ₹ 300.00 एवं अन्य व्यय मद अंतर्गत ₹ 49.00 लाख कुल ₹ 349.00 का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,49,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10 से 13**

उप जेल सारंगढ़ एवं सक्ती को प्रारंभ करने हेतु सामग्री एवं पूर्तियां मद के अन्तर्गत ₹ 28.86 लाख, मशीन और उपकरण हेतु ₹ 6.71 लाख, एम्बुलेंस एवं मोटर सायकिल क्रय हेतु ₹ 6.30 लाख कुल ₹ 41.87 लाख का व्यय संभावित है। व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14**

जेलों में निर्मित वस्तुएं, सामग्री और पूर्तियां मद के अंतर्गत भण्डार तथा कच्चा माल हेतु ₹ 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।